UPAZ010058992026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),आजमगढ़।

Bail Application No.-2589/2026

संजीव मौर्या उम्र लग० 34 वर्ष पुत्र राजपति मौर्या निवासी ग्राम मुण्डा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़। ----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०सरकार ----------विपक्षी।

दिनांक–01.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **संजीव मौर्या** की ओर मु०अ०सं०–242/2026, अन्तर्गत धारा–64(1), 115(2), 351(3), 352, 109, 3(5) बी०एन०एस० व धारा– 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एस०सी०/एस०टी०एक्ट, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **इशरावती मौर्या** पैरवीकार द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित सभी तथ्य सही एवं सत्य हैं।

3– संक्षेप में अभियोजन से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा चन्दा सोनकर द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसका पड़ोसी संजीव मौर्या कई वर्ष पूर्व वादिनी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाता था और वादिनी का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। वादिनी के मना करने व विरोध पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था तथा उसकी माता पिता को सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाने व वायरल करने की धमकी देता था और बार–बार उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाता था। धमकी देकर अपने रूम में बतौर किराये पर रख लिया और उसके साथ अवैध सम्बन्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध करने लगा। विरोध करने पर मारता पीटता था। वादिनी लोक लज्जा व डरवश वह बताती नहीं थी। वह वादिनी व पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। दिनांक 10.06.2026 को समय 09.00 बजे रात को उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाने का प्रयास करने लगा। उसने मना किया कि गाली गुप्ता देते हुये कहा कि खटकिन सटकिन की जाति जवान लड़ाती हो। इतने में अपने भाई राजन मौर्या व अपने बुआ के लड़का वसन्त मौर्या पुत्र अज्ञात तथा अपनी बहन के ननद का लड़का विवेक पुत्र अज्ञात तथा उसकी बहन सोनी, मोनिका, प्रिया तथा उसकी पत्नी अन्जू तथा उसकी बहन के ननद का लड़का विवेक को बुलाया उक्त लोग हाथ में लाठी डण्डा, लात मुक्का से मारने लगे तथा बसन्त मौर्या वादिनी को पटक कर जान से मारने की नियत से चाकू से उसका गला काटने लगा। उसके शोर पर उसकी बहन विन्द्रावती उसकी माँ वासमती बचाने आयी तो उन्हें भी मारने लगे। जिससे उसकी माँ का सर फट गया। उन लोगों के शोर पर उसकी बहन सुमन व करिश्मा तथा अगल बगल के बहुत से लोग आ गये, जो घटना को देखे और बीच बचाव किये। मुल्जिमान धमकी दिये कि खटिक साली अगर थाने पर गयी तो जान से मार देंगे।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहरीर के अवलोकन से स्पष्ट है कि तथा कथित घटना दिनांक 10.06.2026 रात्रि 09.00 बजे की कही जाती है। जबकि सूचना 15.06.2026 को समय 17.18 मिनट पर दर्ज करायी गयी। इस विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि लगभग 05 दिन विलम्ब से सूचना क्यों दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है, क्योंकि एफ०आई०आर० में लिखा है कि कई वर्ष पूर्व प्रार्थिनी के साथ अवैध सम्बन्ध बना

Digitally signed by VIJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.07.01 04:34:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लिया था। अश्लील वीडियो भी बना लिया था, किन्तु इसके पूर्व वादिनी ने न तो प्रार्थिनी के विरुद्ध कभी कोई एफ०आई०आर० दर्ज कराया और न ही किसी पुलिस अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्र ही दिया था। वादिनी मुकदमा बहुत ही मनबढ़ व सरकस किस्म की महिला है तथा तीन बच्चों की माँ है और धन उगाही के लिये झूठा मुकदमा किया है। एफ०आई०आर० के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा लाठी डण्डा व मुक्का द्वारा मारना पीटना कहा गया है जिससे प्रार्थी के विरुद्ध 109 बी०एन०एस का अपराध सृजित नहीं बनता है, शेष धारायें 115(2), 352, 351(3) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा–64(1) का प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी दिनांक 20.06.2026 से इसी अपराध में मण्डल कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी की ओर से श्रीमान के न्यायालय में यह प्रथम जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र है। इस आवेदन प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– जबकि वादिनी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की वादिनी मुकदमा का कई बार जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाने व उसकी अश्लील वीडियों बनाकर वायरल करने की धमकी देने व विरोध करने पर बुरी तरह से मारने पीटने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना बल्तासंग का अपराध कारित किया गया है, जिसमें आवेदक की भूमिका स्पष्ट तौर पर रही है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को विस्तार से सुना व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन, परिशीलन किया।

7– अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य है का कई बार जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाने व उसकी अश्लील वीडियों बनाकर वायरल करने की धमकी देने तथा विरोध करने पर बुरी तरह से मारने पीटने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। प्रस्तुत मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस में कथन किया है कि "…..संजीव मौर्या से मेरा 10 साल से सम्बन्ध था और मुझसे सम्बन्ध बनाने का अश्लील वीडियो बना लिया था, जो मुझे दिखाकर बारबार मिलने बुलाता था। मेरे न जाने पर मुझे मारता पीटता था, वीडियो सबको दिखा देने की धमकी देता था और इसी बहाने मुझसे मेरी मर्जी के विरुद्ध मुझसे शारीरिक सम्बन्ध बनाता था, दिनांक 10.06.2026 को समय रात के 09.00 बजे मुझे फोन करके अपने घर बुला रहा था, मैं मना कर दी तो मुझे गाली देने लगा कि अटकिन खटकिन की जात तू मेरा क्या कर लेगी, तो जब मैं उसके घर के राजन (सुजीत)मौर्या, बसन्त मौर्या, विवेक मौर्या, सोनी, मेनका, प्रिया, मंजू ये सब लोग मिलकर मुझे मारेपीटे और गले पर चाकू से वार किये, मेरी माँ बचाने आयी तो उसे रोड़ पर पटक दिये जिससे उसका सिर फट गया।" पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में भी उसने कथन किया है कि "……मेरा पड़ोसी संजीव मौर्या मेरे साथ गलत काम किया और मेरा वीडियो बना लिया था और आये दिन मुझे धमकी देता था अगल मिलने नहीं आई तो सबको दिखा देंगे, इस लिये मैं डर से मिलने जाती थी, अभी 10.06.2026 को फिर बुलाया तो मैं मना कर दी क्योंकि उसकी शादी हो गयी है बच्चा भी है, मेरा भी परिवार है इसलिये मैं बोली तुम अपना घर संभालो में अपना, तो 10.06.2026 को मैं उसके घर पर बताने गयी तो उसके घरवाले और संजीव मुझे और मेरी माँ को बुरी तरह मारा, संजीव की बुआ का लड़का बसंत मेरे गले पर चाकू से मारा संजीव का भाई राजन मुझे रोड पर घसीटा सबने बहुत भद्दी भद्दी गाली दी संजीव की बहन सोनी ने भी हमला किया और दो बहने प्रिया और मेनका ने भी। मेरे पास वीडियो भी है….." पीड़िता ने अपने धारा–180 एवं 183 बी०एन०एस०एस० के बयानों में अभियोजन

कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार अभियुक्त पर लगाया गया आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार उसकी तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **संजीव मौर्या** की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक–01.07.2026

(विजय कुमार वर्मा–I)
J.O. Code–UP–6503
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
आजमगढ़।